

संख्या सं० 11(2)-संस्था-11(क)/78

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई, 1979
18 वैशाख 1901, शक

कार्यालय अखिल


विषय :- छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में अग्रिम - सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 में संशोधन ।

युद्धे कार्यालय तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 1 सितम्बर, 1978 के का० सं० 310/11/4/78-संस्था-11 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी, छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन स्वयं और/या उसके परिवार द्वारा की जाने वाली यात्रा के संबंध में, रेल द्वारा बाहर की यात्रा की प्रस्तावित तारीख से साठ दिन पहले, यात्रा अग्रिम का आहरण कर सकता है । परन्तु उसे यह सिद्धा करने के लिए कि आहरण की गई तारीख का उसने वास्तव में टिकटों खरीदने के लिए उपयोग कर लिया है, अग्रिम के आहरण से दस दिन के भीतर, उसे सक्षम प्राधिकारी को रेलवे द्वारा जारी की गई टिकटों प्रस्तुत करनी चाहिए ।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सड़क द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, और जो छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, इन संबंध में अग्रिम तीस दिन पहले प्राप्त करते रहेंगे ।

3. उच्चर के पैरा 1 में दलाई गई उपस्थिति की ध्यान में रखते हुए, सामान्य वित्तीय नियम तबली, 1963 के नियम 235 (1) और 235(11)(v) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, आवश्यक संशोधन संलग्न है ।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है वे अवैश भारत के प्रशासिका परीक्षा के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं ।


(संसाधन दाता)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन 373159

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि आदि
(अग्रिजी पाठ में संलग्न सूची के अनुसार)